

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -3434 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 29/06/2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ ROAD/ 43594/2019.

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 बी/यू०सी०पी०/०६/६८/२०२३/एफ०सी०/९३० दिनांक 16.10.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 5446/12-1 दिनांक 25.06.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 5446 / 12-1

दिनांक , चम्पावत 25-6- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव सं०- एफ०पी०/यू०के/रोड/43594/2019)

संदर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाईखण्ड, लोक निर्माण विभाग,भवाली(नैनीताल) की पत्र संख्या 956/8सी दिनांक 20.05.2024।

महोदय,

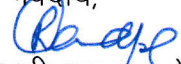
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी/06/68/2023/एफ०सी०/930 दिनांक 16.10.2023 द्वारा 06 बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाईखण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
1.	The locations of villages to be benefited by the road are not marked on KML of diversion area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में ग्राम-कटना को के०एम०एल० फाईल में दर्शाया गया है। (संलग्नक-1)
2.	It appears that the alignment shown in KML is different from the alignment provided in the georeferenced map of the proposed road Further after seeing the alignment on KML it appears that the proposed road is ending up towards the forest rather been the target village- This also need to be clarified.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 2 के क्रम में प्रस्तावित मार्ग (लाल रंग) से जियो रिफ्रेंस मानचित्र, के०एम०एल० तथा टोपो सीट में भिन्नता को समाप्त कर दिया गया है, मानचित्र में वैकल्पिक समरेखन को नीले रंग से दिखाया गया है जो वन भूमि के भीतर समाप्त हो रहा है, परन्तु अनुमोदित समरेखन जो लाल रंग से दर्शाया गया है वह जुड़ने वाले गांव तक ही दर्शाया गया है। (संलग्नक-2)
3.	The area proposed for CA is 3.06 ha but in DSS analysis, the calculated area is 5.36 ha out of which 1.0 ha is VDF and 4.70 ha is found overlapped with the area proposed in another case of FP/UK/ROAD/12706/2015.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 3 के क्रम में पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को निरस्त कर दिया गया है नयी भूमि का चयन कर मानचित्र पुनः तैयार कर प्रेषित किये जा रहे हैं। (संलग्नक-3)
4.	The shape of CA area provided in map is different from the shape of CA area is provided in KML.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 4 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पुनः भूमि का चयन नये स्थान पर कर तदनुसार के०एम०एल०

		तथा टोपोग्राफ मैप तैयार कर लिये गये है। (संलग्नक-4,5)
5.	The tree enumeration provided in online portal are incorrect. The trees falls in forest area is to be filled in online portal because it seems that trees of private land are also been entered by the forest department in online part 2 Further this needs to be clearly defined that what width has been taken of the proposed road for the purpose of tree counting for felling.	आरक्षित वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण परिवेश पोर्टल 1 के भाग 2 में संशोधित कर दिया गया है।
6.	The muck disposal is proposed on private land, therefore, the area proposed for dumping is need to be marked on KML as well as to be mentioned in component wise breakdown in online part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 6 के क्रम में मकडिस्पोजल डम्पिंगयार्ड को के०एम०एल० के पार्ट-1 में प्रदर्शित कर दिया गया है।

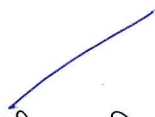
अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर०सी०काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eepwdbhowali@rediffmail.com



पत्रांक १५६ / ८सी० दिनांक २०. ०५.२०२४
सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

प्राप्ति पत्र ११६४
पत्रावली संख्या १२-१
दिनांक ३-६-२०२४

विषय- जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.५३ है० वन भूमि का गैरवानिकी कायनिर्माण हेतु के अन्तर्गत गैरवानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं० एफ०पी०/यू०के/रोड/४३५९४/२०१९)
सन्दर्भ- आपका पत्रांक ४५५९/१२-२ चम्पावत दिनांक २७/०४/२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है।

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
१	The location of villages to be benefited by the road are not marked on KML of diversion area.	बिन्दु संख्या १ के क्रम में ग्राम-कटना के ०एम०एल० फाईल में दर्शित है।
२	It appears that the alignment shown in K M L is different from the alignment provided in the georeferenced map of the proposed road Further after seeing the alignment on KML it appears that the proposed road is ending up towards the forest rather been the target village. This also need to be clarified.	बिन्दु संख्या २ के क्रम में प्रस्तावित मार्ग(लाल रंग)से डियो रिफरेंस मानचित्र, के ०एम०एल० तथा टो०पो० सीट में भिन्ता को समाप्त कर दिया गया है, मानचित्र में वैकल्पिक समरेखन को नीले रंग से दिखाया गया है जो वन भूमि के भीतर समाप्त हो रहा है, परन्तु अनुमोदित समरेखन जो लाल रंग से दर्शाया गया है वह जुड़ने वाले गाँव तक ही दर्शाया गया है।
३	The area proposed for CA is ३.०६ ha but in DSS analysis the calculated area comes ५.३६ ha out of which १.० ha is VDF and ४.७० ha is found overlapped with the area proposed in other case of FP/ROAD/12706/2015.	बिन्दु संख्या ३ के क्रम में पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि को निरस्त कर दिया गया है नयी भूमि का चयन कर मानचित्र पुनः तैयार कर प्रेषित किये जा रहे हैं।
४	The shape of CA area provided in map is different from the shape of CA area is provided in KML.	बिन्दु संख्या ४ के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु पुनः भूमि का चयन नये स्थान पर कर तदनुसार के ०एम०एल० तथा टो०पो० ग्राफ मैप तैयार कर लिये गये हैं।
५	The enumeration provided in online portal is incorrect. The trees falls in forest area is to be filled in online	बिन्दु संख्या ५ के क्रम में स्वीकृत समरेखण में वृक्षों की गणना पुनः वन क्षेत्राधिकारी देवीधूरा द्वारा कर ली गई है। जिसमें ७.०० मी० चौड़ाई में कुल २३४

सर्वेक्षक
प्रश्न

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eepwdbhowali@rediffmail.com



	portal because it seems that trees of private land are also been entered by the forest department in online part II. Futher this needs to be clearly defined that what width has been taken of the proposed road for the purpose of tree counting for felling ?	वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वैकल्पिक समरेखण में 317 वृक्ष प्रभावित होंगे वैकल्पिक समरेखण में 317 वृक्ष प्रभावित होंगे अतः दोनों समरेखणों में वृक्षों की सूची में भिन्नता आ रही है।
6	The muck disposal is proposed in private land there fore the area proposed for dumping is need to be marked on KML as well as to be mentioned in component wise breakup in online part I.	बिन्दु संख्या 6 के क्रम में मकडिस्पोजल डम्पिंगयार्ड को के0एम0एल0 के पार्ट-1 में प्रदर्शित कर लिया गया है।

संलग्न-उक्तानुसार

20/5/24
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

पत्रांक

/8सी0

दिनांक . 05.2024

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)